न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–105/2020/223 आर.टी.एक्ट (2020/00105)

1. ग्राम पंचायत बरल द्वितीय जरिए सरपंच ग्राम पंचायत बरल द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. बालू पुत्र भैरू जाति माली निवासी बरल द्वितीय, तहसील मसूदा जिला अजमेर।

(फौत)

1/1 सीता देवी पुत्री स्व0 बालू पत्नि ओम प्रकाश जाति माली निवासी जीवार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

1/2 कमला देवी पुत्री स्व0 बालू पत्नि गुलाब जाति माली निवासी नानसी हाऊस के पीछे, ज्ञान कॉलोनी, बरल द्वितीय, बिजयनगर जिला अजमेर।

1/3 सोनीया पुत्री बालू जाति माली निवासी बलवीर कॉलोनी प्राज्ञ कॉलोनी के पीछे, बिजयनगर, जिला अजमेर।

1/4 मधु पुत्री बालू जाति माली निवासी कांकरोली जिला राजसमन्द।

1/5 सुशीला देवी पुत्री स्व0 बालू पत्नि दिनेश जाति माली निवासी जीवार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

1/6 प्रेम देवी पुत्री स्व0 बालू पत्नि नारू जाति माली निवासी आम्बा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा राजस्व वाद संख्या 29/2006

उपस्थितः–

1. श्री वी0 पी0 सिंह राजावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री पंकज गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/6.

निर्णय

दिनांकः–17.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 29/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी–रेस्पोडेंट ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में विरूद्ध प्रतिवादी–अपीलांट अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी–अपीलांट को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादी–अपीलांट ने वाद–पत्र का प्रतिवाद पत्र

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत कर वाद पत्र के कथनों से इंकार कर कथन किया कि वादी के खेत के पास ही ग्राम पंचायत बरल की आबादी भूमि स्थित है। ग्राम पंचायत बरल की आबादी भूमि पर टीचर्स क्वार्टर बने हुए है। ग्राम पंचायत का ही कब्जा है और वहां पर शिक्षा केंद्र चल रहा है। विवादग्रस्त भूमि आबादी भूमि होने के कारण राजस्व न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी–अपीलांट ने अपने अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बरल की आबादी भूमि पर जिस सम्पत्ति पर वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त सम्पत्ति पर ग्राम पंचायत, बरल द्वारा दिनांक 26.12.1967 को टीचर्स क्वार्टर का निर्माण किया गया, तब से ग्राम पंचायत के मालिकाना, हक अधिकार में चली आ रही है। कुन्दन माली ने अतिक्रमण कर कब्जा करने की नियत से ताला लगवा दिया। जिसे ग्राम पंचायत ने विधिक प्रक्रिया अपना कर वादी के पुत्र को नोटिस दिया व सुनवाई का अवसर दिया। इसके बाद पुंलिस प्रशासन का सहयोग लेकर दिनांक 06.03.2006 को ताला तोड़ कर अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है। वर्तमान में टीचर्स क्वार्टर पर ग्राम पंचायत का कब्जा है। वाद दीवानी प्रकृति का है। अतः उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा आराजी खसरा संख्या 671 रकबा 1 बिस्वा ग्राम पंचायत, बरल द्वारा खरीद किए गए रकबे एवं ग्राम पंचायत के निर्मित पनघट एवं टीचर्स क्वार्टर के संबंध में प्रतिवादी–अपीलांट के विरूद्ध पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बरल द्वितीय के पूर्व सरपंच नारायण माली वाद में पैरवी कर रहे थे। इनसे पूर्व भी पूर्व सरपंच पैरवी कर रहे थे। जिनको सन् 1961 में ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों के बारे में ज्ञान नहीं होने से ग्राम पंचायत की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पैरवी करने में असमर्थ रहे व ग्राम पंचायत के प्रस्ताव आदि के अभाव में समय पर न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। न्यायालय एवं डिक्री दिनांक 14.6.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 9.10.2019 को प्राप्त होने के पश्चात ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें प्रार्थीया सरपंच चुनकर आने क बाद उक्त निर्णय एवं डिक्री के बार में जानकारी होने पर प्रार्थीया ने अपने ग्राम पंचायत सचिव आदि को पनघट निर्माण व टीचर क्वार्टर निर्माण संबंधित दस्तावेजात ढूंढकर ग्राम पंचायत की मिटींग में रखने हेतु निर्देश दिए। ग्राम पंचायत के सन् 1961 के प्रस्ताव व भैरू पुत्र नानजी से विवादग्रस्त भूमि में से रकबा 1 बिस्वा भूमि खरीदने के तथ्य सामने आने पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 18.3.2020 को न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का प्रस्ताव लिया। अभिभाषक नियुक्त किया व अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने कायम विवाद्यकों का निर्णय करते समय अंकित किया है कि प्रतिवादी–अपीलांट द्वारा विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 671 बाबत कोई प्रस्ताव पारित किया जाना नहीं पाया गया, वादी–रेस्पोडेंट को बेदखल किए जाने की कार्यवाही में भूमि का खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं किए जाने टीचर्स, क्वार्टर किस खसरा नम्बर में निर्माण किए गए उसक विषय में भी खसरा नम्बर अंकित नहीं किया जाना पाए जाने के आधार पर

Scanned with CamScanner

विवद्यक बिंदु संख्या 1 बहक वादी निर्णित कर भारी कानूनी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय एवं डिक्री में दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में लिए गए विधि विरूद्ध निर्णय बाबत न्यायालय को अवगत करवाया जाकर लेख है कि ग्राम पंचायत, बरल द्वारा जगह खरीदने बाबत एक प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 14.5.1961 को इस आशय का रखा गया कि ग्राम पंचपायत के पूर्व की तरफ पनघट का कुआं खुदवाया है किंतु वहां पर जगह कम है ओर रास्ते में। अतः इसके लिए श्री भैरू वल्द नागजी माली सा0 बरल द्वितीय वाले से एक बिस्वा जगीन पंचायत खरीद लेवे ताकि वहां पर पनघट आराम से बन सके व टीचर्स क्वार्टर भी बन सके, उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन उपस्थित पंचों ने किया व जाहिर किया कि दृष्टिकोण को देखते हुए वहां पर जगह कम है। अतः पंचायत इनसे जमीन खरीद लेवे ओर इनकी स्वीकृति हेतु विकास अधिकारी, मसूदा को लिखा जावे। विकास अधिकारी मसूदा ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को स्वीकार कर पत्रांक संख्या 11410 दिनांक 2.6.1961 से रेस्पोडेंट क पिता भैरू से जगीन खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके पश्चात ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 4 एवं प्रस्ताव को अनुमोदन विकास अधिकारी मसूदा के आधार पर प्रस्ताव संख्या 7 पारित किया। जिसमें रेस्पोडेंट के पिता को 51/– रूपए प्रतिफल दिया जाकर रकबा 1 बिस्वा भूमि पनघट हेतु खरीद ली गई। उक्त प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष अपील के सलंग्न प्रस्तुत किए जा रहे है। प्रस्तावों से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता ने ग्राम पंचायत को पनघट एवं टीचर्स क्वार्टर निर्माण के लिए आराजी खसरा संख्या 671 में से रकबा 1 बिस्वा भूमि का बैचान कर कब्जा संभलाए जाने के बाद ही ग्राम पंचायत द्वारा पनघट एवं टीचर्स क्वार्टर का निर्माण राजकीय स्वीकृति प्राप्त कर करवाया गया है। ग्राम पंचायत के पास पनघट एवं टीचर्स निर्माण कार्य में लगे राशि के सम्पूर्ण बिल बाउचर, राशि भुगतान रसीदे आदि समस्त रिकार्ड भी उपलब्ध है। इन सभी तथ्यो के मध्यनजर उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का निर्णय एवं डिक्री जेर अपील तथ्यों एवं वास्तविकता के विपरीत होने तथा भूमि के विक्रय करने के बाद उसी भूमि बाबत वाद प्रस्तुत किए जाने की रेस्पोडेंट को वाद लाने की लोकस स्टैण्डाई नहीं होते हुए उसका वाद डिक्री कर भारी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय एवं डिक्री जेर अपील में रेस्पोडेंट के वाद को स्वीकार कर उसे दी गई दादरसी प्रदान करने का क्षेत्राधिकार धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को नहीं था जैसा की आराजी खसरा संख्या 0.2671 हैक्टर में बने मकान में प्रतिवादी तोड़फोड नहीं करें। दादरसी पूर्णतः सिविल नेचर की है। अपीलांट ने जब यह सिद्ध कर दिया था कि रेस्पोडेंट के खेत के पास ही ग्राम पंचायत बरल के आबादी भूमि स्थित है। ग्राम पंचायत बरल की आबादी भूमि पर टीचर्स क्वार्टर बने हुए है। ग्राम पंचायत का ही कब्जा है ओर वहां पर शिक्षा केन्द्र चल रहा है। विवादग्रस्त भूमि आबादी भूमि होने के कारण राजस्व न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। ग्राम पंचायत बरल की आबादी भूमि पर जिस सम्पत्ति पर रेस्पोडेंट द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त सम्पत्ति पर ग्राम पंचायत, बरल द्वारा दिनांक 26.12.1967 के पूर्व से टीचर्स क्वार्टर का निर्माण किया गया था, तब से ग्राम पंचायत क मालिकाना हक अधिकार में चली आ रही है। कुन्दन माली ने अतिक्रमण कर कब्जा करने की नियत से राजकीय टीचर क्वार्टर पर ताला लगवा दिया। जिसे ग्राम पंचायत ने विधिक प्रक्रिया अपना कर रेस्पोडेंट के पुत्र को नोटिस दिया व सुनवाई का अवसर दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर दिनांक 6.3.2006 को ताला तौड़ कर अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है। ग्राम पंचायत द्वारा इसका उपयोग–उपयोग ग्राम आबादी की सुविधा के लिए किया जा रहा है

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेंट के पिता द्वारा भूमि विक्रय किए जाने से तथा ग्राम पंचायत द्वारा पनघट व टीचर क्वार्टर का विधिवत निर्माण किए जाने से रेस्पोडेंट का विवादित रकबा 1 बिस्वा पर मालिकाना हक अधिकार कब्जा नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद की मेंटेनेबल नहीं था। बिना कब्जा के प्रस्तुत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जब वाद बिना कब्जा के पोषनीय नहीं है, तो स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं की जा सकती। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 29/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/6 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/6 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि मौजा बरल द्वितीय तहसील मसूदा में प्रतिवादी की मिल्कियत आधिपत्य की व खाते की आराजी खसरा नम्बर 671 रकबा 0.2671 हैक्टर स्थित है। प्रतिवादी ने उक्त आराजी में कृषि कार्य एवं कृषि प्रोजनार्थ हेतु पुख्ता पट्टी पोश मकान बना रखा है जिसमें प्रतिवादी कृषि कार्य करने हेतु अपना सामान आदि रखता आ रहा है। वादीगण का उक्त आराजी व उसमें बने कमान में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, मगर फिर भी वो जानबूझकर कर बदनियती से उक्त किए हुए कारतामिरात को ग्राम पंचायत बरल की सीमा में मानकर उक्त आराजी में नाजायत तौर से हस्तक्षेप करते है और किए हुए कारतामिरात को जबरन तुडवाने एवं प्रतिवादी को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करने कराने व आना आधिपत्य करने कराने पर उतारू है और न मान लडाई झगडा करने कराने पर उतारू होते है, और से कृत्य उन्होंने दिनांक 8.12.2005 से जारी कर रखा है जो कृत्य उनका अवैध व नाजायज है। तथा वादी को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा दिनांक 24.12.2005 को दिया जा चुका है फिर भी उन्होंने इस और ध्यान नहीं दिया। प्रतिवादी के हक में तथा वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जावे कि स्वयं या अन्य द्वारा प्रतिवादी की आराजी में व उसके अंतर्गत कृषि प्रयोजनार्थ बने मकान में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व हस्तक्षेप करने कराने और उसमें किए हुए कारतामिरात को तोड़ने व उक्त आराजीयात में प्रतिवादी को जबरन बेदखल करने व अपना आधिपत्य करने से रूके रहे। बडा आसन तहसील बिजयनगर जिला अजमेर में स्थित खसरा नम्बर 210 व खसरा नम्बर 343 भूमियां प्रतिवादीगण के नाम होकर राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। प्रतिवादी ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 223 व 224 की सुरक्षा हेतु सीमा दीवारे के रूप में थोर लगा रखी है जिस पर वादीगण बिना किसी अधिकार के लगभग 10 फीट चौडाई तक के भू भाग पर वादीगण थोर को उखाड दी है। जबकि वादीगण का विवादित आराजीयात से कोई सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण के द्वारा मना करने पर वादीगण नहीं माने जिस पर पुलिस थाना बिजयनगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई लेकिन वादीगण ने 22.4.2014 को खुले आम चुनौति दी है कि उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करेंगे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अतः वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय से जारी हो कि वादीगण प्रतिवादी की आराजी में किसी प्रकार से व्यवधान व दखलअंदाजी उत्पन्न नहीं करे व ना किसी अन्य से करावें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादी जरिय वकील उपस्थित होकर वादी के वाद को नकारते हुए जवाब प्रस्तुत किया। जवाब प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण में तीन तनकीयात कायम की गई, तनकी पर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुए मौजा बरल द्वितीय तहसील मसूदा में आराजी खसरा नम्बर 671 रकबा 0.2671 है0 बने मकान में प्रतिवादी तोड़फोड नहीं करे तथा वादी को बेदखल नहीं करने के आदेश पारित किये हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर गनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।**

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा ग्राम मौजा बरल द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर में अवस्थित खसरा नम्बर 671 रकबा 0.2671 हैक्टर बाबत राजस्व वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विरूद्ध वर्तमान अपीलांट/प्रतिवादी प्रस्तुत किया जिस बाबत प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा दिनांक 7.6.2007 को उक्त राजस्व वाद बाबत जवाबदावा में अतिरिक्त कथन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर केवल दो तनकियां निर्मित कर बिना प्रतिवादीगण समुचित जिरह का अवसर प्रदान किए वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद को दिनांक 14.6.2018 को डिक्री किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर समुचित रूप से तनकीयों का निर्माण नहीं किया गया तथा प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिरह का अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी को जिरह का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजो पर समुचित रूप से प्रदर्श भी अंकित नहीं किए गए प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अपने जवाबदावे के माध्यम से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र पर बिंदुवार जवाब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उक्त जवाब दावे के साथ अतिरिक्त कथन के माध्यम से वादग्रस्त आराजयीात बाबत अपने उज्र एवं क्लेम को साबित करने का प्रयास किया तथा अपने उक्त जवाब के साथ मय अतिरिक्त कथन के साथ ग्राम पंचायत बरल द्वितीय पंचायत समिति, मसूदा जिला अजमेर की ऑर्डर शीट की सत्यापित प्रति तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 03.3.2006 की सत्यापित प्रति नोटिस दिनांक 28.12.2005 की तथा 4.3.2006 की सत्यापित प्रति तथा ग्राम पंचायत के दिनांक 6.3.2006 की बैठक का

Scanned with CamScanner

ब्यौरा कार्य प्रमाण–पत्र भुगतान पत्र,हाजरी मिस्ट्रोल बोरवारा, टीचर्स क्वार्टर बरल के व्यय का विवरण पट्टी के ठेके बाबत रसीद तथा टीचरर्स क्वार्टर बाबत बाउचर तथा अन्य रसीद कि सत्य प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जिन पर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा किसी भी प्रकार से प्रदर्श इत्यादि अंकित नहीं किए गए तथा यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय की गलती का लाभ पक्षकारों को नहीं दिया जा सकता तथा उक्त राजस्व वाद में संबधित तहसीलदार को आवश्यक पक्षकार होने के बावजदू पक्षकार मुर्तिब नही कर उक्त निर्णय पारित किया गया है,जबकि वादग्रस्त आराजीयात बाबत संबंधित तहसीलदार को पक्षकार मुर्तिब कर तथा उक्त राजस्व वाद बाबत संबधित तहसीलदार का जवाब प्राप्त होने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित किया जाना चाहिए था इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश निर्णय व डिक्री 14.6.2018 विधि सम्मत प्रतीत नहीं होने से उक्त आदेश एंव डिक्री दिनांक 14.6.2018 निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है तथा सिविल प्रकिया संहिता की धारा 99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली बाबत दावे एवं जवाब दावे के आधार पर मुर्तिब दोनों तनकीयों के अतिरिक्त हाजा न्यायालय दो अन्य तनकीया निर्मित करना उचित समझते हैं जो कि इस प्रकार से हैः– तनकी संख्या तीनः "आया प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात पर 1967 से टीचर क्वार्टर बनाकर काबिज है अतः प्रतिवादी को कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए।" तथा तनकी संख्या 4: "आया वादी प्रतिवादी के कब्जे से बेदखल करने का अधिकारी है।" इस प्रकार से संबंधित तहसीलदार को पक्षकार संयोजित कर तथा सबंधित तहसीलदार को उक्त राजस्व वाद बाबत समुचित जवाब का अवसर प्रदान कर एवं उक्त जवाब प्राप्त करने के उपरांत तथा सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य, जिरह का समुचित अवसर प्रदान कर नए सिरे से निर्णय पारित करने बाबत् उक्त पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उपरोक्त आबजर्वेशन के क्रम में पुनः निर्णय पारित करे।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 29/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2018 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पुनः उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner